

## कार्यालय आदेश

फलैट क्रेताओ/निवेशको द्वारा बिल्डर के साथ त्रिपक्षीय उप पट्टा प्रलेख का निष्पादन कराने के पश्चात बैंको/वित्तीय संस्थाओ से ऋण प्राप्ति हेतु प्राधिकरण से बंधक अनुमति के लिए अनावश्यक समय व्यर्थ करना पडता हैं।

अतः इसके समाधान हेतु उप पट्टा प्रलेख में निम्नलिखित प्राविधान सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया हैं:-

“यदि उप पट्टा धारक द्वारा फलैट की धनराशि बिल्डर को भुगतान करने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थान/राष्ट्रीय कृत बैंक से ऋण प्राप्त किया हुआ है तो फलैट क्रेता को सम्बन्धित वित्तीय संस्थान/राष्ट्रीय कृत बैंक के पक्ष में प्राधिकरण से बंधक अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हैं।”

उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा हैं।